न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **जीतू कुलहरी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **218/2022** दायर दिनाँक **22.08.2022**

प्रार्थीया		**अप्रार्थी**
1. खातुन पुत्री उम्मेद खां पत्नि इसब खां उम्र 48 वर्ष जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द, तहसील डीडवाना हाल निवास बड़ा बास, लाडनूं तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार मौलासर।

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री विक्रम कुड़ी एडवोकेट प्राथीया।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **04.07.2023**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीया उम्मेद खां की जाईन्दा पुत्री है। जिसका निकाह इसब खां निवासी बड़ा बास, लाडनूं के साथ हुआ है। वर्तमान में वादीया अपने ससुराल बड़ा बास, लाडनूं में निवास कर रही है तथा वादीया का पैतृक भूमि ग्राम बेरी खुर्द में अवस्थित है। जिस पर वादीया कृषी कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है।

यह है कि वादीया की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि खेत खसरा सं0 356 रकबा 2.3100 हैक्टे0 वाकै सरहद ग्राम बेरी खुर्द, पटवार हल्का बेरी खुर्द, भू–अभिलेख निरीक्षक नूंवा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि वादीया की खातेदारी व हक अधिकार की उपरोक्त खसरा नम्बर 356 की भूमि में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम किशनबानू दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादीया का वास्तविक नाम खातून है जो सही एवं सत्य है।

यह है कि वादीया द्वारा कृषि कार्य हेतु ऋण लेने के लिए पटवारी से नकल खतौनी प्राप्त करने से ज्ञात हुआ कि राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम किशनबानू अंकित हो रखा है, जबकि वादीया के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक आदि में वादीया का नाम खातून अंकित है जो वादीया का वास्तविक व सही नाम है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

यह है कि वादीया के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 356 रकबा 2.3100 हैक्टे0 वाकै सरहद ग्राम बेरी खुर्द में वादीया का नाम किशनबानू के स्थान पर खातून राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावें तथा इसी अनुरूप वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जा[illegible]

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/422 दिनांक 10.01.2023 के रिपोर्ट प्राप्त हुई तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 356 रकबा 2.3100 हैक्टे0 वाकै सरहद ग्राम बेरी खुर्द में दर्ज खातेदार का नाम किशनबानू पुत्री उम्मेद खां के स्थान पर खातुन पुत्री उम्मेद खां किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:13:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अधिवक्ता वादीया की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सरहद बेरी खुर्द तहसील मौलासर के खसरा सं0 356 रकबा 2.3100 हैक्टे0 में दर्ज नाम किशन बानू के स्थान पर खातुन दुरूस्त करने की प्रार्थीया इस्तदुआ कर रही है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों व तहसीलदार मौलासर द्वारा पेश तथ्यात्मक रिर्पोट क्रमांक–राजस्व/2022/422 दिनांक 10.1.2023 से प्रार्थीया का नाम खातुन होना पुष्ट होता है। अतः तहसीलदार मौलासर की तथ्यात्मक रिर्पोट व दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थना–पत्र पुष्ट होता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दस्तावेजात पर मनन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर, सरहद ग्राम बेरी खुर्द के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 356 रकबा 2.3100 हैक्टे0 में दर्ज खातेदार का नाम किशनबानू पुत्री उम्मेद खां के स्थान पर खातुन पुत्री उम्मेदखां किया जाता है।

तहसीलदार मौलासर की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2022/422 दिनांक 10.01.2023 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(जीतू कुलहरी R.A.S.)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 04.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी R.A.S.)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:13:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : पीठासीन अधिकारीः— **जीतू कुलहरी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 218/2022 दायर दिनाँक 22.08.2022

प्रार्थीया		**अप्रार्थी**
1. खातुन पुत्री उम्मेद खां पत्नि इसब खां उम्र 48 वर्ष जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द, तहसील डीडवाना हाल निवास बड़ा बास, लाडनूं तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार मौलासर।

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 04.07.2023

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विक्रम कुड़ी एडवोकेट प्रार्थीया की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर, सरहद ग्राम बेरी खुर्द के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 356 रकबा 2.3100 हैक्टे0 में दर्ज खातेदार का नाम किशनबानू पुत्री उम्मेद खां के स्थान पर खातुन पुत्री उम्मेदखां किया जाता है।

तहसीलदार मौलासर की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2022/422 दिनांक 10.01.2023 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.07.2023 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा ... की ... डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:13:17 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner